न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

गिसाल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
92/2023	20/09/2023	03/12/2025

1. धीरज पुत्र रामदास
2. रामस्वरूप पुत्र रामदास
3. ज्योति पुत्री रामदास
4. पिंकी पुत्री रामदास
5. मंजु पुत्री रामदास
6. ममता पुत्री रामदास
7. रूकमणी पुत्री रामदास
8. लक्ष्मी पुत्री रामदास
9. सुगन पुत्री रामदास
10. प्रेमबाई पुत्री रामदास उम्र वर्ष जातियान हरिजन निवासीगण लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड0।

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 10/11/1976 को आवंटन सलाहकार समिती की मिटिंग में किये गये निर्णय तथा तत्काली दिनांक को सिलिंग कि भुमियो का आवंटन कार्य पुर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तहसील पीपल्दा के कैम्प अयाना में रहकर किया तहसीदार राजस्व नायब तहसीलदार उपस्थित समस्त पटवारीयान अपने रिकॉर्ड के साथ उपस्थित थे तथा सलाहकार समिति में निम्न मेम्बरान आवंटन के समय उपस्थित थे नं.1 तहसीलदार (राजस्व) पीपल्दा नं.2 तहसीलदार (उप.) पीपल्दा नं.3 विकास अधिकारी पंचायत सीमिति इटावा नं. 4 श्यामसिंह जी प्रधान पंचायत समिति इटावा नं. 4 शांतिलाल जी सरपंच नोनेरा नं. 5 चेतराम जी सरपंच अयाना उपस्थित थे जिन्होने सर्व सम्मति से सिलिंग कि अधिग्रहित भूमि का आवंटन निम्न ख.नं. एवं प्रति व्यक्ति सम्पादित किया जिसमे ग्राम लुहावद में ख.नं. 395 रकबा 10 बीघा व ख.नं. 393 रकबा 10. बीघा दोनों ख.नं. दो व्यक्तियों के नाम आवंटन हुआ। लेकिन तत्कालीन समय ख.नं. 393 रकबा 10 बीघा पर आवटी कि लिस्ट में प्रभुलाल पुत्र रंगलाल लिख दिया और ख.नं. 395 में आवंटी कि लिस्ट में सेम रकबा होने से नाम माधो पुत्र सुख्या लिख दिया गया जबकी उक्त ख.नं. रेवेन्यु रेकार्ड के अनुसार माधो पुत्र सुख्या के ख.नं. 393 व प्रभुलाल पुत्र रंगलाल के 395 में आवंटीत हुआ था जो आवंटन लिस्ट एवं रेवेन्यु रेकॉर्ड के अनुसार सही है। इस प्रकार से वादीगण के दादा माधो पुत्र सुख्या जाति हरिजन निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के नाम ख.नं. 393 रकबा 10 बीघा अलोट हुई थी दिनांक 10/11/1976 को वादीगण के दादा अलोट होने के बाद से और वादीगण के दादा कि मृत्यु होने के बाद वादीगण के पिता उक्त भुमि पर काबिज रहे और वादीगण के पिता कि मृत्यु होने के बाद वादीगण

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

उक्त आराजी पर काबिज कास्त चले आ रहे है। उक्त भुमि में सेटलमेन्ट हुआ और ख.नं. 393 रकबा 10 बीघा भूमि के नये खन 546 रकबा 0.91 है व ख.नं. 547 रकबा 0.49है. कुल किता दो का कुल रकबा 1.40 हैक्टर कायम किये गये जो पुर्व रकबे के मुकाबले 0.12 है. कम दर्ज किया गया जबकी 1.60 हैक्टर दर्ज करना था तथा सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार का कोई हक एवं अधिकार नहीं है। उक्त भुमि मे फर्द इस्तलाफ केचमेन्ट ब्लाक लुहावद बी वर्ष 2003–2004 तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. के अनुसार दोनो ख.नं. 546 व 547 दोनों को मिलाकर केचमेन्ट विभाग द्वारा ख.नं.683 बनाकर रकबा 1.32 है. दर्ज कर दिया और 0.8है. कि कटोती केचमेन्ट विभाग ने करदी जबकी सेटलमेन्ट बाद रकबा 1.40 हैक्टर था लेकिन 0.12 हैक्टर तो वादी का रकबा सेटलमेन्ट ने कम कर दिया और 0.8 हैक्टर केचमेन्ट विभाग ने इस प्रकार से वादीगण का वर्तमान रकबा बाद सेटलमेन्ट के बाद भी केचमेन्ट कटोती 0.8 हैक्टर काटने के बाद भी वर्तमान ख.नं. 683 रकबा 1.52 हैक्टर दर्ज होना चाहिये था तथा उक्त भुमि को कम करने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग को नही है। वादीगण के पास कब्जा कास्त भूमि वर्तमान मे रेवेन्यु रेकार्ड जमाबन्दी में गेर खातेदारी मे दर्ज है जबकी उक्त अलोटमेन्ट कि सम्पूर्ण किस्ते वादीगण द्वारा जमा कि जा चुकी है इसलिए गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज किया जाना भी वादीगण के लिये आवश्यक है। वाद कारण 1–9–23 को जब पैदा हुआ कि ने रेवेन्यु अधिकारीयों से कई मर्तबा प्रतिवादी एवं रेवेन्यु अधिकारीयो से वादीगण द्वारा अपने गैरखातेदारी कि भुमि को खातेदारी दर्ज करने एवं रकबा दुरस्त किये जाने के लिये निवेदन किया तथा जमाबन्दी में दुरस्त करने के लिये निवेदन किया लेकिन रेवेन्यु अधिकारीयों ने वादी कि एक भी नहीं सुनी और आखरीबार जब प्रार्थीगण तहसीलदार पीपल्दा के पास गया और अपने नाम रकबा दुरस्ती एवं गेर खातेदारी से खातेदारी करने के लिय निवेदन किया तो उन्होने कहां कि आप न्यायालय में कार्यवाही करो इस लिये वादीगण को न्यायालय में नाम दुरस्ती का वाद पत्र प्रस्तुत करने को मजबुर होना पड़ा है। अतः माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रार्थना है कि वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय कि घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत निर्णय एवं डिक्री पारित की जायें कि वादीगण गैर खातेदारी कि आराजी एवं जमाबन्दी वाके माल लुहावद पटवार हल्का लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. दोनो ख.नं. का कैचमेन्ट विभाग द्वारा ख.नं. 683 बनाकर रकबा 1. 32 है. दर्ज कर दिया और 0.8है. कि कटोती केचमेन्ट विभाग ने करदी जबकी सेटलमेन्ट बाद रकबा 1.40 हैक्टर था लेकिन 0.12 हैक्टर तो वादी का रकबा सेटलमेन्ट ने कम कर दिया जिसको दुरस्त कर वर्तमान रकबा 1.52 हैक्टर किया जाये तथा उक्त ख.नं. 683 कि भुमि को गैरखातेदारी है खातेदारी दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को आदेश दिया जावें कि उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी वाद कि प्रार्थनानुसार रेकॉर्ड एवं रकबा को दुरस्त कर वादीगण के नाम इन्द्राज कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे तथा सभी सयुक्त खातेदारो को उनके कब्जे कास्तनुसार एवं दौराने दावा यदि प्रतिवादी, वादीगण की उक्त विवादित कृषि आराजी पर कब्जा एवं रेकॉर्ड में फेरबदल नहीं करे नहीं बेदखल कर कब्जा कास्त में मदाखलत एवं मजाहमत नही करे। अन्य जो भी सहायता माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रतिवादीगणों से दिलवाई जावे।

वादी की ओर से वाद श्री सत्यनारायण मीणा द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त हुआ। जो अग्रलिखित है।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम गणेशपुरा खाता 294 ख0सं0 683 रकबा 1.32है0 पर 10 सामलाति गैर खातेदार क्रमशः ज्योति, धीरज, पिंकी, मन्जू, ममता, रूकमणी, रामस्वरूप, लक्ष्मी, सुगन पिसरान रामदास, प्रेमबाई बेवा रामदास जातियान हरिजन हिस्सा 1/10 प्रत्येक का गैर–खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि (ख0नं0 683 गणेशपुरा) पर रामदास पुत्र माधो के वारिसानों का कब्जा काश्त है। वर्तमान ख0नं0 683 रकबा 1.32है0 कैचमेंट 2003–04 के दौरान ख0नं0 546 रकबा 0.90है0 एवं ख0नं0 547 रकबा 0.49है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 से बनाया गया जिसमें कैचमेंट के दौरान 0.08है0 की सामान्य कटौती की गई। बन्दोबस्त के बाद के खनं0 546 रकबा 0.90है0 एवं 547 रकबा 0.49है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40है0 को साबिक ख0नं0 393/2 मी0 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा से बनाए गए। प्रार्थी के दादा माधो पुत्र सुखा जाति हरिजन को दिनांक 10.11.1976 ख0सं0 395 रकबा 10 बीघा का आवंटन हुआ था। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के आंवटी को खसं0 393/2 मी0 आवंटित होना चाहिए था/होता है जबकि आवंटी को दिनांक 10.11.1976 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में माधो पुत्र सुखा जाति हरिजन को ख0नं0 395 रकबा 90 बीघा का आवंटन किया गया। अतः प्रार्थी को आवंटित खसरे का मिलान नहीं हो रहा है।

तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी अपने आवंटन शुदा भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

2. आया वादी अपने खाते में सेटलमेंट व केचमेंट विभाग द्वारा कि गई कमी रकबा कि पूर्ति कराने का अधिकारी है।

जिम्मेवादी

वादी ने साक्ष्यवादी शपथ धीरज के पेश किए। वादी ने वाद के समर्थन में नकल सत्यप्रति आवंटन पत्रावली 10.11.1976 प्रदर्श पी–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 से 60 सिवायचक जमाबन्दी संवत 2041–60 प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी ग्राम किशनपुरा खाता सं0 294 पुराना 264 प्रदर्श पी–3, नकल जमाबन्दी ग्राम लुहावद सं0 2036–37 ख0नं0 393 प्रदर्श पी–4, फर्द इक्तलाफ केचमेंट ग्राम लुहावद 2003–2004 प्रदर्श पी–5 पेश किए।

बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक मनन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण का तनकीवार विवेचन करने पर पाया किः–

तनकी नं0 1:– "आया वादी अपने आवंटनशुदा भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।" को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ग्राम लुहावद के आवंटन ख0नं0 395 रकबा 10 बीघा के आवंटन का सेटलमेंट एवं केचमेंट के बाद बने नए ख0नम्बर पर काबिज होने के बजाय ग्राम गणेशपुरा के ख0नं0 393 से सेटलमेंट एवं केचमेंट के बाद बने नए ख0न0 683 रकबा 1.32है0 पर काबिज है एवं उक्त काबिज ख0न0 पर ही खातेदारी अधिकार लेना चाहता है। परन्तु वर्तमान ख0नं0 683 रकबा 1.32है0 पर किस आधार पर खातेदारी दी जाए यह सिद्ध नहीं कर पाया। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 2:– "आया वादी अपने खाते में सेटलमेंट व केचमेंट विभाग द्वारा कि गई कमी रकबा कि पूर्ति कराने का अधिकारी है।" को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ग्राम गणेशपुरा के ख0नं0 393 से सेटलमेंट एवं केचमेंट के बाद बने नए ख0न0 683 रकबा 1.32है0 पर काबिज है। जो कि वादी को कभी

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

आवंटन हुआ ही नहीं। जब वादी को उक्त रकबा आवंटन नहीं हुआ तो कमी पूर्ति कराने का वादी को कोई अधिकार भी नहीं है। वादी कमी पूर्ति रकबे के विषय को सिद्ध नहीं कर पाया। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

चूंकि वादी के दादा को 10.11.1976 को ग्राम लुहावद के साबिक ख0नं0 395 की 10 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जबकि ग्राम लुहावद के ख0नं0 395 का रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा था तथा सेटलमेंट के पश्चात मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 395 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के ख0नं0 229 रकबा 0.43है0 बने एवं बाद केचमेंट उक्त ख0नं0 229 के वर्तमान ख0नं0 1660 रकबा 0.40है0 पैमूद किए गए जो मौके पर किसी अन्य के कब्जे एवं खातेदारी में दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0नं0 393/2 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा के सेटलमेंट एवं बाद सेटलमेंट केचमेंट से ख0नं0 546 रकबा 0.91है0 एवं ख0नं0 547 रकबा 0.49है किता 2 रकबा 1.40है0 भूमि को माधो पुत्र सुखा हरिजन के नाम गैर–खातेदारी किस आधार पर की गई यह कही भी सिद्ध नहीं हो रहा है। वादी के दादा को आवंटित ख0नं0 395 ग्राम लुहावद से 10 बीघा जमीन आवंटित हुई थी तथा गैरखातेदारी में दर्ज साबिक ख0नं0 393/2 रकबा 28 बीघा 1 बिस्वा भूमि ग्राम गणेशपुरा में दर्ज है। इसलिए न तो गत व हाल ख0नं0 का मिलान हो रहा है और न ही गांव का मिलान हो रहा है आवंटित ख0नं0 व रकबे तथा गैर खातेदारी में दर्ज ख0नं0 व रकबे में तथा ग्रामों में भिन्नता होने के कारण वादी को कमी रकबे की पूर्ति एवं खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, कोटा (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई (आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
92 / 2023	20 / 09 / 2023	03 / 12 / 2025

1. धीरज पुत्र रामदास
2. रामस्वरूप पुत्र रामदास
3. ज्योति पुत्री रामदास
4. पिंकी पुत्री रामदास
5. मंजु पुत्री रामदास
6. ममता पुत्री रामदास
7. रूकमणी पुत्री रामदास
8. लक्ष्मी पुत्री रामदास
9. सुगन पुत्री रामदास
10. प्रेमबाई पुत्री रामदास उम्र वर्ष जातियान हरिजन निवासीगण लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री सत्यनारायण मीणा एड०।

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा वाद अर्न्तगत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी सत्यनारायण मीणा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 03.12.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)